न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

232

विविध (जमाबंदी) अपील वाद सं0– 139/2016

बैजनाथ भगत ..... अपीलार्थी

बनाम

अंचलाधिकारी, शिवसागर वगैरह ..... उतरवादीगण

आदेश

09.02.2018 प्रस्तुत अपील, विविध वाद सं0– 19/15–16 जमाबंदी में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सासाराम, रोहतास द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.16 से व्यथित वो असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा दाखिल किया गया हैं।

अपीलार्थी का पक्षः–

अपीलार्थी का कथन हैं कि रिविजनल सर्वे कार्यवाही शुरू होने के कवल ही स्व0 बंशी भगत, स्व0 बालगोविन्द भगत वो स्व0 दरगाही भगत में इस तौर पर बँटवारा हुआ कि स्व0 बंशी भगत वो बालगोविन्द भगत एक साथ रह गए एवं स्व0 दरगाही भगत अलग हो गये। उक्त बँटवारा होने के चन्द साल बाद ही बंशी भगत वो भी बालगोविन्द भगत इजमालन रहते हुए स्वर्गवास कर गये। इस तौर पर रिविजनल सर्वे खतियान बंशी भगत के पुत्र कईल भगत वो बालगोविन्द भगत के पुत्र ठकुरी भगत के नाम से वाके मौजा– चनुआ, खाता नं0 2 वो 18 वो वाके मौजा– कदवॉ, खाता नं0 14 वो वाके मौजा– छोटकी चेनारी, खाता नं0 40 इजमालन तैयार हुआ। अपीलार्थी का यह भी कहना हैं कि मौजा– चनुआ, खाता नं0 19 वो वाके मौजा– छोटकी चेनारी, खाता नं0 183 का खतियान गलती से स्व0 बंशी भगत वो स्व0 बालगोविन्द भगत वो स्व0 दरगाही भगत के वारिसानों के नाम से इजमालन तैयार हो गया हैं। हालांकि पूर्व में जिस कदर फरिकैन अपने–अपने हिस्से के जायदाद पर काबिज दाखिल हुए चले आ रहे थे उसी के मुताबिक उक्त दोनों खाता के कैफियत कॉलम में सही तौर पर दखल–कब्जा दर्ज हैं। रिविजनल सर्वे के करीब 10–11 वर्ष बाद चन्द मस्तुराती झगड़े के वजह से स्व0 कईल भगत के वारिसानों एवं स्व0 ठकुरी भगत के वारिसान स्व0 भरत प्रसाद चौरसिया के दरम्यान केवल खान–पान वो रहन–सहन में अलहदगी हो गई हैं लेकिन सभी मौरूसी जायदाद का अभी तक मोकम्मल बँटवारा नहीं हुआ हैं। अपीलार्थी का यह भी कहना हैं कि सभी मौरूसी जायदाद का मोकम्मल बँटवारा करने हेतु एक नम्बरी मोकदमा स्वत्व वाद सं0 786/2016 सब जज–1, सासाराम के न्यायालय में दाखिल किये हैं, जिसमें उतरवादी सं0 2 ता 7 भी पक्षकार हैं वो उक्त वाद में बहैसियत मुदालयगण के हाजिर हुए हैं। उतरवादी सं0 2 वो 3 आपस में एक राय वो साजिश में होकर अपीलार्थी को नुकसान पहुँचाने के नियत से उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सासाराम के न्यायालय में एक विविध वाद वाद सं0 19/15–16 दाखिल किये तथा बिना कईल भगत के वारिसानों को पक्षकार बनाये न्यायालय को झाँसा देकर गलत आदेश पारित करवा लिये हैं, जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं हैं। जब अपीलार्थी को गाँव–घर में अफवाहन पता चला तो उक्त विविध वाद के आदेश का बजाप्ता

...ले लेकर यह अपील दाखिल किया।

उतरवादी सं0 2 वो 3 का पक्षः—

उतरवादी सं0 2 वो 3 का कथन हैं कि अपील की विवादित भूमि खाता नं0 14, मौजा— कदवॉ, खाता नं0 2, 19, 18, मौजा— चन्दवा का नया सर्वे खतियान कईल भगत वो ठकुरी भगत के संयुक्त नाम से बना हैं और मौजा— छोटकी चेनारी का खाता नं0 183 का सर्वे खाता में कईल भगत, ठकुरी भगत वो दरगाही भगत के पुत्रों का संयुक्त दखल दर्ज हो गया है, लेकिन उसका बँटवारा हो गया। उतरवादीगण आगे कहना हैं कि सन् 1976 में अपीलार्थी एवं उतरवादीगण में बँटवारा हो गया था। और विवादित भूमि उतरवादीगण को मिली थी तथा उतरवादी सं0 2 वो 3 ने भी आपस में सन् 2012 ई0 में विवादित भूमि का बँटवारा कर लिये थे। इसलिए निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं हैं।

उतरवादी सं0 4 ता 7 का पक्षः—

उतरवादी सं0 4 ता 7 का कथन भी उक्त अपील में दाखिल हैं, जो कि अपीलार्थी के कथन का समर्थन करता हैं तथा उतरवादी सं0 2 वो 3 के कथन का विरोध करता हैं।

मन्तव्य एवं आदेशः—

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर अपीलार्थी द्वारा दाखिल खतियान, रसीद एवं स्वत्व वाद सं0 786/2016 का अर्जी का अवलोकन किया। अभिलेख पर दाखिल खतियान वो रसीद को देखने से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता हैं कि कईल भगत एवं ठकुरी भगत के बीच में कभी भी बजाप्ता बँटवारा नहीं हुआ हैं वैसी स्थिति में उतरवादी सं0 2 वो 3 द्वारा कईल भगत के वारिसान को विविध वाद में पक्षकार नहीं बनाना न्याय की दृष्टि में उचित प्रतीत नहीं होता हैं। जबकि उतरवादी सं0 2 वो 3 स्वंय स्वीकार करते हैं कि कईल भगत वो ठकुरी भगत के नाम से इजमालन खतियान तैयार हैं। इसलिए निम्न न्यायालय को खतियानी रैयत वो पूर्व जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत के पश्चात ही वाद की सुनवाई करनी चाहिए थी। इस अपील में शामिल सम्पति के संबंध में सिविल न्यायालय के समक्ष एक स्वत्व वाद बँटवारा हेतु लंबित हैं। ऐसी स्थिति में भी निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः अपीलार्थी के अपील को स्वीकृत किया जाता हैं तथा उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सासाराम के आदेश दिनांक 24.05.2016 को निरस्त किया जाता हैं। अंचलाधिकारी, शिवसागर को निदेश दिया जाता हैं कि जमाबंदी को दिनांक 24.05.2016 के पूर्व की स्थिति में कायम रखा जायें।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सासाराम एवं अंचलाधिकारी, शिवसागर को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश उभय पक्ष को दिखा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

9/2/18

अपर समाहर्त्ता,
रोहतास, सासाराम।

9/2/18

अपर समाहर्त्ता,
रोहतास, सासाराम।

15/2/18